GCMS
2021/8
29/9/2022

फर्द अहकाम

(नियम 13)

अज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम श्री रहमत

हलका सड़ा

पुत्र श्री पीरा जाति मोयला

निवासी– सड़ा

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 08/वर्ष 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
31-3-2021	पटवारी हलका सड़ा ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत 2077 में मौजा सड़ा के खसरा नंबर 526/408 रकबा 0.0283 हे. किस्म भूमि गै.मु.मो. ....पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 16-4-2021 को वमुकाम सिणधरी में पेश हों। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
16-4-2021	पत्रावली पेश हुई। ~~नोटिस~~ अदम तामिल प्राप्त। तारीख पेशी बढ़ाकर पत्रावली दिनांक 13-5-2021 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
13-5-2021	पत्रावली पेश हुई नोटिस तामिल होकर प्राप्त नहीं हुए। पत्रावली दिनांक 28-5-2021 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	

28-5-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल तामिल होकर प्राप्त नहीं हुए। तारीख पेशी बढ़ाई जाकर पत्रावली दिनांक 16-6-2021 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर
16-6-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 29-6-2021 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर
29-6-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई जवाब या कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, अतः गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुए पत्रावली फैसल सुमार हो। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर

वर्ष 2021-22 के राजस्व लेखा पंजिका म. क. पृष्ठ सं. 21 पर क्र.सं. 02 पर जुर्माना/फसल नीलामी राशि रू. 501/- की मांग दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी

न्यायालय तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर-08 /2021 संवत्:-2078

राजस्थान सरकार जरिये बनाम रहमत वल्द पीरा खां कौम

पटवारी हल्का सऊ मोयला कुम्हार ग्रा-सऊ

निर्णय

दिनांक:-29/6/2021

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी सऊ ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया। कि गैर सायल ने संवत् 2078 में राजस्व ग्राम सऊ के खसरा नम्बर 526/408 में कुल रकबा 0.0568 ~~बीघा~~ किस्म भूमि [illegible] में से रकबा 0.0283 है. ~~बीघा~~ भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को नोटिस तलब किया गया। पेशी तिथि पर गैर सायल अनुपस्थित।

गैर सायल बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित अतः गैर सायल के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

चूकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर गैर सायल द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है।

ऐसी अवस्था में गैर सायल को राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी मूतनाजा से बेदखली के आदेश दिये है। गैर सायल के इस कृत्य के लिए उनके विरूद्ध वार्षिक भू- राजस्व लगान 0.02 का राउण्ड अप (1 रु.) का 50 गुणा अर्थात 50/- रूपये (अक्षरे पचास रूपये) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है। गैर सायल से वसूल किया जावे।

हल्का पटवारी गैर सायल को उक्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखलकर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त करे। तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें। निर्णय की क्रियान्वित मांग कायमी हेतु तराले/भू.अ. निरीक्षक/पटवारी हल्का आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

न्यायालय तहसीलदार सिणधरी (बाड़मेर)

(S)
तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर